"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]        रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010—अग्रहायण 5, शक 1932

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-1-14/2009/1/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006) को गृह विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) की अधिसूचना दिनांक 31-07-2010 के परिप्रेक्ष्य में "दाण्डिक एवं सिविल विधि प्रक्रिया संहिता" की विभागीय परीक्षा में छूट देते हुए वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600) में पदोन्नत किया जाता है.

2. श्री मेनन को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से अर्थात् 31-07-2010 से देय होगा तथा वे अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर यथावत पदस्थ रहेंगे.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-1-11/2010/एक/2.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान HAG; 67000-(annual increment @ 3%)- 79000 में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

| स. क्र. (1) | अधिकारी का नाम (2) | वर्तमान पदस्थापना (3) | नवीन पदस्थापना (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | अजय पाल सिंह, (1986) | सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (केवल कक्ष-9 से 13 तक) | प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (केवल कक्ष-9 से 13 तक) |
| 2. | श्री एस. के. कुजूर, (1986) | मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ. ग. एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य हेतु)<br>सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त, पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री. | मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ. ग. एवं पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य हेतु) एवं अतिरिक्त प्रभार.<br>प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त, पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री. |

2. डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से., (1986) जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं को छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री अजय पाल सिंह, के प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति के दिनांक से, प्रमुख सचिव वेतनमान HAG; 67000-(annual increment @ 3%)- 79000 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

3. श्री एस. के. कुजूर द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9 (1) के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16-09-2010 द्वारा प्रमुख सचिव वेतनमान में 2 रिक्तियां निर्धारण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (2) (iii) के तहत 30 दिवस के भीतर भारत सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण उक्त रिक्तियां हेतु भारत सरकार की सहमति मानी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक 1182/879/2010/1-8/स्था.— श्री के. के. बाजपेयी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 8-10-2010 से 14-10-2010 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 15, 16 एवं 17-10-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. बाजपेयी को उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. बाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक 1184/881/2010/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4-10-2010 से 5-10-2010 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एल. सोनी**, अवर सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्रमांक 1186/2312/2010/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को दिनांक 15-11-2010 से 4-12-2010 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 13 एवं 14-11-2010 तथा 5-12-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता को प्रमुख सचिव, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्रमांक 1188/883/2010/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 18-10-2010 से 23-10-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एल. डी. चोपड़े**, अवर सचिव.

## गृह (पुलिस) विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 3-107/2010/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला दुर्ग के सूर्यबिहार कालोनी को पुलिस चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव से हटाकर थाना सुपेला में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एल. लिखाटे,** अवर सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो-गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 06-11-2010 से 10-12-2010 तक कुल 35 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 05-11-2010 तथा दिनांक 11 एवं 12-12-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की तथा दिनांक 24-11-2010 से 05-12-2010 तक भ्रमण हेतु मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैण्ड (विदेश) जाने की अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 06-11-2010 से 12-12-2010 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस. आई. बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमरेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, एस. आई. बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. एल. लिखार,** अवर सचिव.

---

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-07/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-03-2010 के द्वारा कोरबा विकास योजना हेतु गठित समिति में निम्नलिखित विधान सभा सदस्यों को भी शामिल करता है.

| अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा | पद का नाम | संस्था/पता |
|---|---|---|
| "ध" | 2-विधान सभा सदस्य | विधान सभा क्षेत्र, कटघोरा |
| | 3-विधान सभा सदस्य | विधान सभा क्षेत्र, रामपुर |

उक्त समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्रमांक-एफ 7-41/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गुरूर, निवेश क्षेत्र, जिला दुर्ग का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

**गुरूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

**उत्तर में** : ग्राम भरदा, तार्री बोरतरा, कोलिहामार की उत्तरी सीमा तक.
**पूर्व में** : ग्राम कोलिहामार, बोहारडीह, दानीटोला की पूर्वी सीमा तक.
**दक्षिण में** : ग्राम दानीटोला, कन्हारपुरी, सोनईडोंगरी की दक्षिणी सीमा तक.
**पश्चिम में** : ग्राम सोनईडोंगरी, खैरवाही, भरदा की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्रमांक-एफ 7-43/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए डौण्डीलोहारा, निवेश क्षेत्र, जिला दुर्ग का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

**डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

**उत्तर में** : ग्राम कोटेरा, धनगांव, अंडी, संबलपुर, बडगांव की उत्तरी सीमा तक.
**पूर्व में** : ग्राम बडगांव, खडेनाडीह, जोगीभाट की पूर्वी सीमा तक.
**दक्षिण में** : ग्राम जोगीभाट, बटेरा, डौण्डीलोहारा, कसही की दक्षिणी सीमा तक.
**पश्चिम में** : ग्राम कसही, धनगांव, कोटेरा की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक-एफ 7-42/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्जुन्दा, निवेश क्षेत्र, जिला दुर्ग का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

**अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

**उत्तर में** : ग्राम डुडिया, मटेवा, माटिया, खैरबना की उत्तरी सीमा तक.
**पूर्व में** : ग्राम खैरबना, कांदुल, खपरी की पूर्वी सीमा तक.
**दक्षिण में** : ग्राम खपरी, परसतराई, बोरगहन, मनकी, टेलीटोना की दक्षिणी सीमा तक.
**पश्चिम में** : ग्राम टेलीटोला, कढ़िया, डुडिया की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया**, उप-सचिव.

## खनिज साधन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-37/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-03 पर दर्शित अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय) का वेतनमान रुपये 5000-8000/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-15 पर दर्शित वरिष्ठ तकनीकी सहायक का वेतनमान रुपये 5500-9000/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

उक्त नियम की अनुसूची-एक के सरल क्रमांक-29 पर दर्शित सर्वेयर (ज़िला कार्यालय) का वेतनमान रुपये 3500-5200/- दिनांक 01-04-2006 से देय है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. मिश्रा**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-37/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-37/2007/12, दिनांक 29-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. मिश्रा**, उप-सचिव.

Raipur, the 29th October 2010

No. F 1-37/2007/12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India. The Governor of Chhattisgarh hereby amend the Chhattisgarh Geology and Mining, Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

The pay scale Rs. 5000-8000 of Superintendent (Regional Office) mentioned in Serial No. 3 of the Schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

The pay scale Rs. 5500-9000 of Senior Technical Assistant mentioned in Serial No. 15 of the Schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

The pay scale Rs. 3500-5200 of Surveyor (District Office) mentioned in Serial No. 29 of the Schedule-I of the rule is payble from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

## ग्रामोद्योग विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा प्रभाग) चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती की पद्धति एवं विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा प्रभाग) चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य विषय, अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण :—**
   (1) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण :—** सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार होगा.

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

   (3) **महिलाओं के लिए आरक्षण :—** महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारियों जिनकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के एक सदस्य की अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए उपबंधित आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पि. रमेष कुमार**, सचिव.

## अनुसूची

**सीधी भर्ती हेतु**

| स. क्र. | पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन बैंड) | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | आयु सीमा न्यनूतम/ अधिकतम | विहित शैक्षणिक अर्हता | परिवीक्षा परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो | सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी | पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा | सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | दफ्तरी | 01 | चतुर्थ श्रेणी | 4750-7440 ग्रेड वेतन 1400 | 100% पदोन्नति द्वारा | - | 5वीं उत्तीर्ण | 2 वर्ष | कॉलम क्र. 7 से 9 तक | 5 वर्ष नियमित सेवा | (i) संयुक्त संचालक—अध्यक्ष (हाथकरघा प्रभाग) (ii) उप संचालक—सदस्य (हाथकरघा प्रभाग) (iii) उप संचालक—सदस्य (हाथकरघा प्रभाग) | |
| 2. | भृत्य | 16 | चतुर्थ श्रेणी | 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300 | 100% सीधी भर्ती द्वारा | 18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष तक) | 5वीं उत्तीर्ण | 2 वर्ष | कॉलम क्र. 7 से 9 तक | - | —तदैव— | |

**टीप :—** (1) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु भृत्य को जोड़कर वरिष्ठता सूची बनाई जायेगी तथा ऐसे वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों के नाम निम्न पदों पर उनके द्वारा स्थानापन्न रूप से की गई निरंतर सेवा के आधार पर रखा जायेगा.

(2) नामांकित दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा जिसे संयुक्त संचालक द्वारा नामांकित किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9/2008/(6) 52 दिनांक 21-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पि. रमेष कुमार, सचिव.**

Raipur, the 21st October 2010

No. F 1-9/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Directorate of Rural Industries (Handloom sector) Chhattisgarh Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement :—**
   (1) These rules may be called the Directorate of Rural Industries (Handloom sector) Chhattisgarh Services Class-IV Service Recruitment Rules, 2010.

   (2) These Rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :**—These Rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc. :**— The Classification of the service, the number of posts included in the service, and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (3) to (12) of the Schedule.

4. **Reservation :—**
   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994)

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) **Reservation for women :—** Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving :**— Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving :**— All rules Corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

   Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. RAMESH KUMAR, Secretary.

SCHEDULE

**FOR DIRECT RECRUITMENT**

| S. No. | Name of Post | Number of post | Classi-fication | Scale of pay (Revised pay band) | Method of recruitement percentage of vacant posts to direct recruitment or by promotion or by transfer and different methods | Age limit Minimum/ Maximum | Pres-cribed Edu-cational quali-fication | Period of probation Trial, if any | Whether in the case of promotion prescri-bed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply | In case of recruitment by promo-tion or transfer post from which promo-tion transfer will be made | Selection Committee for direct recruitment and promotion | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Daftari | 01 | Class-IV | 4750-7440 Grade pay 1400 | 100% Promotion | - | 5th Pass | 2 year | Column No. 7 to 9 | 5 years continuous service | (i) Joint Director—Chairman (Handloom sector)<br>(ii) Deputy Director—Member (Handloom sector)<br>(ii) Deputy Director—Member (Handloom sector) | |
| 2. | Peon | 16 | Class-IV | 4750-7440 Grade pay 1300 | 100% by Direct recruitment | 18 to 30 years (Age for citizen of Chhattisgarh upto 18 to 35 years) | 5th Pass | 2 year | Column No. 7 to 9 | - | —do— | |

**Note :-** (1) To consider for promotion on the post of Daftari combined seniority list of Peon shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on the basis of officiating continuous service rendered by them on the lower posts.

(2) For promotion on the post of Daftari nominated Department promotional committee shall be constituted which shall be nominated by Joint Director.

# ऊर्जा विभाग

## मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्रमांक 2020/एफ 21/13/09/13/2/ऊ.वि.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 की कंडिका सात के उपबंध ञ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी के द्वारा दिनांक 31-12-2008 की स्थिति में तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हेतु उपलब्ध कराये गये अनंतिम बैलेन्सशीट के आधार पर, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन उपरांत गठित उत्तरवर्ती चार विद्युत कंपनियों यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर के लिये, परिशिष्ट-एक में दर्शाये अनुसार प्रारंभिक तुलनपत्र (ओपनिंग बैलेन्सशीट) अधिसूचित करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश अग्रवाल**, संयुक्त सचिव.

---

परिशिष्ट-एक

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 के अनुसार गठित उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों हेतु दिनांक 01-01-2009 की स्थिति में प्रारंभिक तुलनपत्र ( ओपनिंग बैलेन्सशीट )**

(रुपये करोड़ में)

| क्र. | तुलनपत्र | दिनांक 31-12-08 की स्थिति में तत्कालीन विद्युत मण्डल की समेकित तुलनपत्र* | समायोजन | छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड | छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड | छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड | छत्तीसगढ़ विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | **आस्तियां** | | | | | | |
| | स्थिर आस्तियां | 6,253.03 | – | 3,601.31 | 892.82 | 1,749.56 | 9.33 |
| | घटायें : अवक्षयण | 1,798.46 | – | 914.73 | 236.41 | 646.74 | 0.57 |
| | शुद्ध स्थिर आस्तियां | 4,454.58 | – | 2,686.58 | 656.41 | 1,102.82 | 8.76 |
| | प्रगति में पूंजीगत कार्य | 2,020.10 | (296.18) | 544.37 | 373.03 | 806.52 | – |
| | आमूर्त एवं अन्य आस्तियां | 18.37 | – | 8.87 | – | 9.50 | – |
| | सहायक कंपनियों में विनिधान | | | | | | 3,762.05 |
| | विनिधान | 275.27 | 376.25 | 66.38 | 14.31 | 78.90 | 491.93 |
| | स्टॉक | 219.91 | 1.52 | 178.88 | 8.54 | 29.24 | 4.76 |
| | विद्युत प्रदाय के संबंध में प्राप्तियां | 1,166.24 | – | – | – | 1,166.24 | – |
| | नगदी एवं बैंक | (67.85) | – | 4.99 | 0.19 | 23.11 | (96.14) |
| | अंतर कंपनी प्राप्तियां/देय | | | (38.28) | (10.56) | (47.23) | 96.07 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उधार और अग्रिम | 1,007.63 | - | 482.56 | 128.54 | 394.57 | 1.96 |
| | अन्यान्य प्राप्तियां | 205.86 | 1.25 | (12.48) | 1.28 | 53.29 | 217.02 |
| | उपभोक्ताओं से प्रतिभूति निक्षेप. | (463.22) | - | - | - | (463.22) | - |
| | अन्य चालू दायित्व | (2,162.00) | 237.18 | (708.17) | (173.59) | (1,034.33) | (8.73) |
| | सरकार से प्राप्य सहायिकी | 669.01 | (253.67) | 133.31 | 41.54 | 240.48 | |
| | **कुल आस्तियां** | **7,343.90** | **66.34** | **3,347.01** | **1,039.69** | **2,359.89** | **4,477.68** |
| 2. | **दायित्व** | | | | | | |
| | राज्य सरकार से कुल निधियां | 763.90 | (136.78) | 296.62 | 92.44 | 214.94 | - |
| | अभिदाय, अनुदान और सहायिकी. | 1,345.75 | (1,345.75) | | | - | |
| | आरक्षित और आरक्षित निधियां | 178.47 | 2.77 | 60.60 | 29.60 | 91.03 | |
| | अधिशेष+अंशपूंजी समायोजन | 2,934.23 | 1,287.10 | 1,133.08 | 625.51 | 1,822.23 | 4,477.68 |
| | उप-योग: अंशपूंजी | 4,458.45 | | 1,193.68 | 655.11 | 1,913.26 | 4,477.68 |
| | पूंजी दायित्वों पर शोध्य संदाय | 503.41 | (117.24) | 180.79 | 56.34 | 149.03 | - |
| | पूंजी दायित्व | 1,618.14 | 376.25 | 1,675.92 | 235.80 | 82.66 | - |
| | **कुल दायित्व** | **7,343.90** | **66.34** | **3,347.01** | **1,039.69** | **2,359.89** | **4,477.68** |

* तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की बैलेन्सशीट का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा अपेक्षित है अतः विभिन्न मदों में संबंधित उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों हेतु दर्शाई प्रविष्टियों में उक्त लेखा परीक्षण के अनुसार संशोधन अपेक्षित.

() की राशि ऋणात्मक है.

Raipur, the 29th October 2010

No. 2020/F-21/13/09/13/2/ED.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (j) of clause (7) of Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Rules, 2010 State Government hereby notifies opening balance sheet, as indicated in Annexure-I, of successor four power companies i.e; Chhattisgarh State Power Generation Company Limited Raipur, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited Raipur, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited Raipur and Chhattisgarh State Power Holding Company Limited Raipur established after restructuring of Chhattisgarh State Electricity Board as per provisions of Electricity Act 2003, which is based on the provisional consolidated balance sheet of Chhattisgarh State Electricity Board as on 31-12-2008 provided by Chhattisgarh State Power Holding Comapny Limited Raipur.

This notification shall be immediately effective.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH AGARWAL, Joint Secretary.

ANNEXURE-I

**Opening Balance Sheet as on 01-01-2009 of successor Power Companies established as per provisions of Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules 2010**

Rs. in Crores

| No. | Balance Sheet | Consolidated Balance Sheet of erstwhile CSEB as on 31-12-2008* | Adjustment | CSPGCL | CSPTCL | CSPDCL | CSPHCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | **Assets** | | | | | | |
| | Fixed Assets | 6,253.03 | – | 3,601.31 | 892.82 | 1,749.56 | 9.33 |
| | Less: Depreciation | 1,798.46 | – | 914.73 | 236.41 | 646.74 | 0.57 |
| | Net Assets | 4,454.58 | – | 2,686.58 | 656.41 | 1,102.82 | 8.76 |
| | CWIP | 2,020.10 | (296.18) | 544.37 | 373.03 | 806.52 | – |
| | Intangible and other Assets. | 18.37 | – | 8.87 | – | 9.50 | – |
| | Investment in subsidiary company. | | – | – | – | – | 3,762.05 |
| | Investment | 275.27 | 376.25 | 66.38 | 14.31 | 78.90 | 491.93 |
| | Stock | 219.91 | 1.52 | 178.88 | 8.54 | 29.24 | 4.76 |
| | Receivable against Suply of power. | 1,166.24 | – | – | – | 1,166.24 | – |
| | Cash & Bank | (67.85) | – | 4.99 | 0.19 | 23.11 | (96.14) |
| | Inter Company Receivable/Payable. | | – | (38.28) | (10.56) | (47.23) | 96.07 |
| | Loans & Advance | 1,007.63 | – | 482.56 | 128.54 | 394.57 | 1.96 |
| | Sundry Receivable | 205.86 | 1.25 | (12.48) | 1.28 | 53.29 | 217.02 |
| | Security Deposits From Consumers. | (463.22) | – | – | – | (463.22) | – |
| | Other Current Liabilities. | (2,162.00) | 237.18 | (708.17) | (173.59) | (1,034.33) | (8.73) |
| | Subsidy Receivable From Government. | 669.01 | (253.67) | 133.31 | 41.54 | 240.48 | – |
| | **Total Assets** | **7,343.90** | **66.34** | **3,347.01** | **1,039.69** | **2,359.89** | **4,477.68** |
| 2. | **Liabilities** | | | | | | |
| | Total Funds from State Government. | 763.90 | (136.78) | 296.62 | 92.44 | 214.94 | – |
| | Contribution, Grants and Subsidies. | 1,345.75 | (1,345.75) | – | – | – | – |
| | Reserve and Reserve funds. | 178.47 | 2.77 | 60.60 | 29.60 | 91.03 | – |
| | Surplus + Equity adjustment. | 2,934.23 | 1,287.10 | 1,133.08 | 625.51 | 1,822.23 | 4,477.68 |
| | Sub Total: Shareholder Equity. | 4,458.45 | – | 1,193.68 | 655.11 | 1,913.26 | 4,477.68 |
| | Payments Due on Capital Liabilities. | 503.41 | (117.24) | 180.79 | 56.34 | 149.03 | – |
| | Capital Liabilities | 1,618.14 | 376.25 | 1,675.92 | 235.80 | 82.66 | – |
| | **Total Liabilities** | **7,343.90** | **66.34** | **3,347.01** | **1,039.69** | **2,359.89** | **4,477.68** |

* Balance sheet of erstwhile CSEB is yet to be audited by CAG accordingly, entries against various heads are subject to changes.

() Entries indicates negative.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्रमांक/65/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | सेंदरी प.ह.नं. 25 | 0.304 | कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर. | सेंदरी-घिवरा मार्ग पर सोननदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्रमांक/02/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | पामगढ़ | भुईगांव प.ह.नं. 11 | 0.345 | कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर. | जोधरा, भुईगांव मार्ग पर लीलागर सेतु पहुंच मार्ग. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ब्रजेशचंद्र मिश्र**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | कोरबा | बगबुड़ा | 14.67 | डी.जी.एम. पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिलासपुर. | सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना हेतु अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | कोरबा | कुकरीचोली | 63.31 | डी.जी.एम. पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिलासपुर. | सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना हेतु अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | कोरबा | भैंसमा | 81.19 | डी.जी.एम. पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिलासपुर. | सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना हेतु अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. एस. त्यागी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक/3692/अ-82/200.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | खम्हरिया | घिवरी प. ह. नं. 8 | 0.10 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ. ग.) | हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | गरियाबंद | नहरगांव प. ह. नं. 26 | 539 | 0.03 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद. | पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना. |
| | | | 541/2334 | 0.01 | | |
| | | | 546 | 0.01 | | |
| | | | 548 | 0.19 | | |
| | | | 551 | 0.05 | | |
| | | | 552 | 0.03 | | |
| | | | 555 | 0.13 | | |
| | | | 556 | 0.02 | | |
| | | | 557 | 0.04 | | |
| | | | 562 | 0.02 | | |
| | | | 563 | 0.01 | | |
| | | | 564 | 0.04 | | |
| | | | 602 | 0.08 | | |
| | | | 603 | 0.07 | | |
| | | | 604 | 0.01 | | |
| | | | 606/2 | 0.03 | | |
| | | | 608 | 0.04 | | |
| | | | 615 | 0.02 | | |
| | | | 616 | 0.03 | | |
| | | | 617 | 0.01 | | |
| | | | 618 | 0.05 | | |
| | | | 639 | 0.21 | | |
| | | | 698 | 0.03 | | |
| | | | 700 | 0.12 | | |
| | | | 702 | 0.06 | | |
| | | | 712/1 | 0.11 | | |
| | | | 720 | 0.06 | | |
| | | | 722 | 0.12 | | |
| | | | 723/1 | 0.03 | | |
| | | | 723/3 | 0.03 | | |
| | | | 731 | 0.07 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 732 | 0.08 | | |
| | | | 772/2 | 0.02 | | |
| | | | 772/3 | 0.14 | | |
| | | | 774 | 0.13 | | |
| | | | 817 | 0.05 | | |
| | | | 818 | 0.07 | | |
| | | | 819 | 0.02 | | |
| | | | 820 | 0.01 | | |
| | | | 825 | 0.01 | | |
| | | | 826 | 0.07 | | |
| | | | 827 | 0.06 | | |
| | | | 828 | 0.03 | | |
| | | | 829 | 0.01 | | |
| | | | 830 | 0.06 | | |
| | | | 831 | 0.01 | | |
| | | | 858 | 0.01 | | |
| | | | 859 | 0.23 | | |
| | | | 867 | 0.02 | | |
| | | | 868 | 0.03 | | |
| | | | 869 | 0.04 | | |
| | | | 874 | 0.11 | | |
| | | | 875 | 0.11 | | |
| | | | 877 | 0.05 | | |
| | | | 878 | 0.06 | | |
| | | | 878/2311 | 0.07 | | |
| | | | 879 | 0.05 | | |
| | | | 880 | 0.01 | | |
| | | | 881 | 0.03 | | |
| | | | 1190 | 0.12 | | |
| | | | 1196 | 0.03 | | |
| | | | 1198 | 0.07 | | |
| | | | 1199 | 0.08 | | |
| | | | 1200 | 0.04 | | |
| | | | 1203 | 0.02 | | |
| | | | 1205 | 0.01 | | |
| | | | 1206 | 0.01 | | |
| | | | 1210 | 0.01 | | |
| | | | 1245 | 0.04 | | |
| | | | 1247 | 0.04 | | |
| | | | 1248 | 0.04 | | |
| | | | 1249/5 | 0.04 | | |
| | | | 1249/2 | 0.04 | | |
| | | | 1255/1 | 0.05 | | |
| | | | 1255/2 | 0.06 | | |
| | | | 1258 | 0.02 | | |
| | | | 1260 | 0.02 | | |
| | | | 1263 | 0.18 | | |
| | | | 1264 | 0.01 | | |
| | | | 1266 | 0.13 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1268 | 0.03 | | |
| | | | 1269 | 0.02 | | |
| | | | 1270 | 0.02 | | |
| | | | 1271 | 0.13 | | |
| | | | 1272 | 0.02 | | |
| | | | 1273 | 0.02 | | |
| | | | 1274 | 0.03 | | |
| | | | 1275 | 0.12 | | |
| | | | 1276 | 0.01 | | |
| | | | 1277 | 0.01 | | |
| | | | 1281 | 0.01 | | |
| | | | 1285 | 0.08 | | |
| | | | 1354 | 0.01 | | |
| | | | 1357 | 0.08 | | |
| | | | 1358 | 0.07 | | |
| | | | 1359 | 0.03 | | |
| | | | 1361 | 0.06 | | |
| | | | 1362 | 0.03 | | |
| | | | 1363 | 0.01 | | |
| | | | 1364 | 0.02 | | |
| | | | 1371 | 0.01 | | |
| | | | 1372 | 0.02 | | |
| | | | 1374 | 0.03 | | |
| | | | 1375 | 0.07 | | |
| | | | 1376 | 0.02 | | |
| | | | 1380 | 0.02 | | |
| | | | 1381 | 0.04 | | |
| | | | 1383/2 | 0.03 | | |
| | | | 1384 | 0.03 | | |
| | | | 1385 | 0.02 | | |
| | | | 1386 | 0.04 | | |
| | | | 1387 | 0.02 | | |
| | | | 1391 | 0.06 | | |
| | | | 1402 | 0.09 | | |
| | | | 1407 | 0.05 | | |
| | | | 1410 | 0.01 | | |
| | | | 1411 | 0.01 | | |
| | | | 1412/1 | 0.03 | | |
| | | | 1412/2 | 0.03 | | |
| | | | 1414 | 0.01 | | |
| | | | 1415/5 | 0.01 | | |
| | | | 1415/3 | 0.06 | | |
| | | | 1417 | 0.02 | | |
| | | | 1418 | 0.06 | | |
| | | | 1419 | 0.08 | | |
| | | | 1425 | 0.12 | | |
| | | | 1459 | 0.09 | | |
| | | | 1460 | 0.03 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1461 | 0.05 | | |
| | | | 1466 | 0.08 | | |
| | | | 1468 | 0.08 | | |
| | | | 1471 | 0.12 | | |
| | | | 1473 | 0.25 | | |
| | | | 1502 | 0.02 | | |
| | | | 1506 | 0.01 | | |
| | | | 1507 | 0.02 | | |
| | | | 1532 | 0.06 | | |
| | | | 1534 | 0.12 | | |
| | | | 1535 | 0.01 | | |
| | | | 1539/1 | 0.06 | | |
| | | | 1539/2 | 0.06 | | |
| | | | 1540 | 0.12 | | |
| | | | 1541 | 0.02 | | |
| | | | 1542 | 0.12 | | |
| | | | 1549 | 0.15 | | |
| | | | 1554 | 0.01 | | |
| | | | 1557 | 0.01 | | |
| | | | 1558 | 0.04 | | |
| | | | 1559 | 0.01 | | |
| | | | 2109 | 0.36 | | |
| | | | 2116 | 0.01 | | |
| | | | 2117 | 0.03 | | |
| | | | 2118 | 0.08 | | |
| | | | 2123 | 0.01 | | |
| | | | 2122/2324 | 0.05 | | |
| | | | 2124 | 0.01 | | |
| | | | 2125 | 0.05 | | |
| | | | 2126 | 0.01 | | |
| | | | 2131 | 0.01 | | |
| | | | 2138 | 0.04 | | |
| | | | 2140/1 | 0.09 | | |
| | | | 2140/2 | 0.07 | | |
| | | | 2163 | 0.01 | | |
| | | | 2169 | 0.05 | | |
| | | | 2171 | 0.01 | | |
| | | | 2172 | 0.23 | | |
| | | | 2173 | 0.02 | | |
| | | | 2174 | 0.02 | | |
| | | | 2175 | 0.02 | | |
| | | | 2178 | 0.16 | | |
| | | | 2179 | 0.36 | | |
| | | **योग** | **171** | **9.35** | | |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रोहित यादव,** कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | करनपुर<br>प. ह. नं. 25 | 0.42 | परियोजना प्रबंधक, एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट, जगदलपुर. | एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना में जल आपूर्ति के लिए. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं परियोजना प्रबंधक, एनएमडीसी जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. परस्ते,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
## राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक 3/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सेवरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-108.24 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 55 | 1.22 |
| 26/1 | 0.46 |
| 78/3 | 0.40 |
| 121/1 | 0.59 |
| 119/2, 120/2 | 0.78 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 33/2 | 0.70 | 37 | 0.20 |
| 13 | 1.04 | 42/2 | 0.38 |
| 14/1 | 2.68 | 42/4 | 0.20 |
| 23/2 | 2.79 | 28/2 | 0.48 |
| 24/1 | 1.48 | 48/2 | 1.10 |
| 31/2 | 0.90 | 58 | 0.91 |
| 7 | 0.08 | 75/1 | 0.50 |
| 8/1 | 0.15 | 26/3 | 0.62 |
| 8/4 | 0.50 | 114 | 0.56 |
| 32/1 | 0.28 | 28/1 | 0.72 |
| 49/2 | 1.50 | 72 | 0.95 |
| 91/1 | 0.12 | 73 | 0.28 |
| 48/3 | 0.55 | 74 | 0.07 |
| 42/3 | 1.21 | 113/2 | 0.75 |
| 43 | 0.30 | 77 | 1.44 |
| 96 | 0.30 | 25/1 | 0.60 |
| 81 | 0.87 | 33/1 | 0.70 |
| 25/2 | 0.89 | 84 | 0.15 |
| 42/1 | 1.06 | 29/1 | 1.07 |
| 66/1 | 1.93 | 38/3 | 0.58 |
| 57 | 1.83 | 61 | 2.43 |
| 80/1 | 0.75 | 44/3 | 0.04 |
| 83/1 | 1.68 | 47/1 | 0.78 |
| 78/1 | 1.07 | 12 | 0.10 |
| 82/3 | 0.53 | 110/2 | 0.50 |
| 129/1 | 0.20 | 38/2 | 0.20 |
| 82/4 | 1.06 | 39 | 0.34 |
| 53 | 2.10 | 78/2 | 0.68 |
| 44/2 | 0.26 | 82/1 | 1.60 |
| 46 | 1.45 | 27/1 | 0.70 |
| 56 | 0.94 | 93 | 0.83 |
| 50 | 0.60 | 82/2 | 1.06 |
| 21/1, 22/1 | 0.15 | 117 | 0.75 |
| 54/1 | 0.74 | 44/4 | 0.25 |
| 116 | 0.77 | 44/5 | 0.65 |
| 38/1 | 1.30 | 75/2 | 0.50 |
| 41 | 0.09 | 11/2 | 1.25 |
| 2 | 3.46 | 89 | 0.23 |
| 4 | 0.22 | 95 | 1.20 |
| 5 | 0.29 | 97 | 2.75 |
| 8/2 | 0.70 | 27/2 | 0.70 |
| 9 | 1.90 | 52 | 0.64 |
| 34/2 | 0.15 | 110/1 | 0.69 |
| 35 | 0.46 | 110/3 | 0.70 |
| 36 | 1.37 | 30 | 1.10 |
| 40 | 0.30 | 71 | 0.20 |

| (1) | | (2) |
| --- | --- | --- |
| | 76/2 | 0.51 |
| | 90/2 | 0.18 |
| | 94 | 0.40 |
| | 76/1 | 0.55 |
| | 31/3 | 1.80 |
| | 34/1 | 0.51 |
| | 14/2 | 0.40 |
| | 23/1 | 1.50 |
| | 24/2 | 0.54 |
| | 31/4 | 0.45 |
| | 29/2 | 1.08 |
| | 85 | 0.05 |
| | 8/3 | 0.43 |
| | 32/2 | 0.83 |
| | 49/1 | 1.50 |
| | 91/2 | 0.91 |
| | 11/1 | 1.25 |
| | 26/2 | 0.93 |
| | 90/1 | 0.17 |
| | 92 | 1.16 |
| | 118 | 1.33 |
| | 79 | 0.42 |
| | 83/3 | 2.62 |
| | 51 | 0.68 |
| | 83/2 | 1.18 |
| | 10 | 1.60 |
| | 31/1 | 2.15 |
| | 48/1 | 0.55 |
| | 47/2 | 0.74 |
| | 80/2 | 0.27 |
| | 83/4 | 0.58 |
| | 88 | 0.12 |
| | 54/2 | 0.35 |
| | 115/2 | 0.22 |
| योग | 125 | 108.24 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगड़ी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मटियाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 एकड़

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
| --- | --- | --- |
| | 428/3 | 0.04 |
| योग | 1 | 0.04 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पैण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सेखवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 64/3 | 0.37 |
| 265/7 | 0.65 |
| 593/1 | 0.04 |
| योग 3 | 1.06 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोवरसोन व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक 16/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-दानीकुण्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.99 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 142 | 0.17 |
| 183/5 | 0.34 |
| 98 | 0.08 |
| 178/1 | 0.08 |
| 183/2 | 1.01 |
| 64/8, 65 | 0.28 |
| 173/7, 175 | 0.05 |
| 177 | 0.34 |
| 178/2 | 0.14 |
| 141/1 | 0.04 |
| 82 | 0.07 |
| 84 | 0.11 |
| 139/1 स | 0.11 |
| 183/6 | 0.18 |
| 81 | 0.06 |
| 85/2 | 0.02 |
| 83 | 0.07 |
| 87 | 0.24 |
| 93/2 | 0.13 |
| 85/1, 86 | 0.25 |
| 174/1, 176 | 0.04 |
| 66 | 0.18 |
| 67 | 0.28 |
| 94 | 0.28 |
| 97 | 0.08 |
| 73 | 0.13 |
| 96, 99 | 0.23 |
| योग 24 | 4.99 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंशीताल नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-मटियाडांड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.54 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 129 | 0.11 |
| 151/2 | 0.23 |
| 130/1, 140/2 | 0.26 |
| 140/1 | 0.35 |
| 131/1, 139/1 | 0.07 |
| 140/3 | 0.17 |
| 150 | 0.06 |
| 151/1 | 0.23 |
| 174/2, 175/1 | 0.06 |
| योग 9 | 1.54 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंशीताल नहर योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मौहारीटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 680/11 | 0.40 |
| योग 1 | 0.40 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंशीताल नहर योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-महोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.12 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 920/4 | 0.25 |
| 894/1 | 0.30 |
| 909/1 | 0.50 |
| 900/2 | 0.33 |
| 924/2 | 0.48 |
| 895 | 0.03 |
| 299/1 | 0.50 |
| 290/1 | 0.27 |
| 923/1 | 0.16 |
| 913/11 | 0.10 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 910/1 | 0.11 |
| | 913/9 | 0.16 |
| | 919/1 | 0.20 |
| | 924/3 | 0.16 |
| | 913/5, 911/1 | 0.17 |
| | 919/2 | |
| | 923/2 | 0.16 |
| | 897 | 0.05 |
| | 292/2 | 0.36 |
| | 920/3 | 0.26 |
| | 920/2 | 0.20 |
| | 289, 304 | 0.27 |
| | 297/2, 299/2 | 0.50 |
| | 300 | 0.35 |
| | 896 | 0.39 |
| | 894/2 | 0.09 |
| | 899/2 | 0.12 |
| | 382/1 | 0.13 |
| | 924/4 | 0.32 |
| योग | 29 | 7.12 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.287 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 211/2 | 0.287 |
| योग | 1 | 0.287 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोईंग-मौहापाली-जामगांव मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.**

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक 82/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05 अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-कोसरंगी, प. ह. नं. 80
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 793 | 0.20 |
| योग | 1 | 0.20 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोसरंगी-खट्टी मार्ग के केशवा नाला कि.मी. 1/10 पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 3 नवम्बर 2010

क्रमांक 83/भू-अर्जन/अ.वि.अ./04 अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-केशवा, प. ह. नं. 80
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 206 | 0.09 |
| | 264 | 0.07 |
| योग | 2 | 0.16 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-केशवा-खट्टी मार्ग के केशवा नाला में पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अलरमेल मंगई डी.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-खोड्डल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-143.15 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 37/1 | 0.21 |
| 47/4 | 0.08 |
| 81/3 क | 0.10 |
| 37/2 | 0.19 |
| 47/2 | 0.04 |
| 78/2 | 0.04 |
| 80/2 | 0.26 |
| 119/7 | 0.03 |
| 120/3 | 0.08 |
| 38/1 | 0.35 |
| 38/2 | 0.17 |
| 38/3 | 0.35 |
| 93/1 क | 0.06 |
| 38/4 | 0.34 |
| 93/3 क | 0.06 |
| 38/5 | 0.30 |
| 93/2 | 0.08 |
| 321/4 | 0.02 |
| 38/6 | 0.07 |
| 93/4 | 0.15 |
| 38/7 | 0.30 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 321/6 | 0.04 | 59/2 | 0.48 |
| 38/8 | 0.03 | 59/8 | 0.04 |
| 255/10 | 0.54 | 61/2 | 0.10 |
| 38/9 | 0.05 | 61/3 | 0.41 |
| 38/10 | 0.05 | 61/14 | 0.06 |
| 38/11 | 0.03 | 61/5 | 0.17 |
| 38/12 | 0.04 | 61/15 | 0.17 |
| 46 | 0.27 | 61/7 | 0.72 |
| 47/1 | 0.06 | 63 | 1.41 |
| 47/3 | 0.30 | 61/10 | 0.03 |
| 57/1 क | 0.11 | 61/12 | 0.04 |
| 58/1 क | 0.13 | 61/19 | 0.13 |
| 59/3 क | 0.07 | 61/13 | 0.40 |
| 61/6 क | 0.13 | 61/29 | 0.34 |
| 59/5 | 0.06 | 62/2 | 0.18 |
| 92 | 0.08 | 64/1 | 0.82 |
| 119/5 | 0.16 | 82 | 0.10 |
| 154/1 | 0.36 | 83 | 0.43 |
| 47/5 | 0.35 | 88 | 0.08 |
| 57/4 | 0.06 | 90 | 0.13 |
| 61/54 | 0.01 | 232/1 | 0.15 |
| 78/6 | 0.10 | 232/2 | 0.10 |
| 79/2 | 0.15 | 303/2 | 0.66 |
| 81/1 क | 0.05 | 339/1 | 2.15 |
| 117/3 | 0.17 | 49/1 | 0.16 |
| 119/2 | 0.05 | 157/1 क | 0.02 |
| 47/6 | 0.03 | 49/2 | 0.11 |
| 57/6 | 0.06 | 157/1 ख | 0.03 |
| 59/12 | 0.005 | 49/3 | 0.30 |
| 61/56 | 0.005 | 157/1 ग | 0.02 |
| 78/4, 119/6 | 0.175 | 50/1 | 0.08 |
| 81/2 | 0.24 | 50/3 | 0.09 |
| 47/7 | 0.03 | 50/4 | 0.07 |
| 57/7 | 0.06 | 50/2 | 0.08 |
| 57/12 | 0.01 | 50/6 | 0.03 |
| 61/57 | 0.01 | 77/1 | 0.28 |
| 78/7, 119/10 | 0.175 | 84/1 | 0.18 |
| 81/5 | 0.31 | 244/1 क/1, 310/1 क/1 | 0.02 |
| 251/1 क | 0.02 | 310/3 | 0.09 |
| 48 | 0.42 | 50/5 | 0.05 |
| 53 | 0.82 | 121/3 | 0.09 |
| 55/1 ख/1 | 0.11 | 121/5 | 0.17 |
| 55/2 ख/1 | 0.36 | 227/2 | 0.04 |
| 56/2 | 0.83 | 228/2 क | 0.05 |
| 58/2 | 0.69 | 245/3 क | 0.18 |
| 59/7 | 0.03 | 50/7 | 0.09 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 331/13 ख | 0.05 | 52/3 | 0.05 |
| 50/8 क | 0.01 | 52/4 | 0.05 |
| 55/1 क/4, 55/1 ग/4, 61/72 | 0.125 | 52/5 | 0.05 |
| 56/8 क | 0.10 | 54 | 0.38 |
| 73/20 | 0.13 | 239/1 | 1.12 |
| 227/5 | 0.07 | 55/1 क/1, 55/1 ग/1, 61/9 | 0.03 |
| 228/8 | 0.15 | 56/3 | 0.05 |
| 236/1 | 0.02 | 73/3 | 0.04 |
| 331/5 क | 0.01 | 121/15 | 0.04 |
| 341/9 | 0.01 | 228/2 ख | 0.10 |
| 50/8 ख | 0.05 | 331/3 | 0.04 |
| 50/9 | 0.05 | 55/1 क/3, 55/1 ग/3, 61/71 | 0.125 |
| 50/10 | 0.08 | 56/7 | 0.16 |
| 331/16 ग | 0.055 | 73/19 | 0.14 |
| 50/11 | 0.10 | 121/11 | 0.09 |
| 50/12 | 0.10 | 121/12 | 0.11 |
| 50/13 | 0.13 | 227/4 | 0.04 |
| 50/14 | 0.03 | 228/7 | 0.25 |
| 77/8 क/1 | 0.22 | 249/1 | 0.02 |
| 244/8 क | 0.04 | 55/1 क/5, 55/1 ग/5, 61/73 | 0.045 |
| 310/13 क | 1.08 | 73/21 | 0.13 |
| 310/15 | 0.09 | 228/9 | 0.25 |
| 50/15 | 0.03 | 331/14 क | 0.01 |
| 77/9 | 0.75 | 341/3 | 0.05 |
| 84/3 | 0.10 | 55/1 क/6, 55/1 ग/6, 61/74 | 0.08 |
| 244/9 | 0.14 | 55/1 क/8, 55/1 ग/8, 61/76 | 0.03 |
| 310/14 | 0.64 | 56/10 | 0.05 |
| 50/16 | 0.10 | 73/23 | 0.05 |
| 50/17 | 0.03 | 121/17 | 0.04 |
| 55/1 क/7, 55/1 ग/7, 61/75 | 0.03 | 245/3 ख | 0.10 |
| 56/9 | 0.05 | 331/17 | 0.04 |
| 73/22 | 0.04 | 55/1 क/9, 55/1 ग/9, 61/77 | 0.035 |
| 121/16 | 0.04 | 331/35 | 0.05 |
| 228/2 ग | 0.10 | 56/4 | 0.09 |
| 331/16 ख | 0.04 | 121/2 | 0.02 |
| 51/1 | 0.46 | 121/4 | 0.04 |
| 51/2 | 0.46 | 121/6 | 0.02 |
| 51/3 | 0.30 | 331/10 | 0.03 |
| 52/1 क | 0.12 | 341/2 | 0.055 |
| 52/1 ख | 0.12 | 56/5 | 0.09 |
| 52/2 | 0.11 | 73/12 | 0.09 |
| 147/1 घ/1 | 0.14 | 121/7 | 0.08 |
| 147/1 च/1 | 0.04 | 121/9 | 0.07 |
| 150/1 | 0.04 | 227/1 | 0.11 |
| 151/1 | 0.04 | 228/5 | 0.23 |
| 151/9 | 0.12 | 56/6 क | 0.03 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 56/6 ख | 0.04 | 59/4 | 0.12 |
| 56/6 ग | 0.03 | 78/3 | 0.30 |
| 56/8 ख | 0.05 | 78/5 | 0.01 |
| 57/1 ख, 58/1 ख, 59/3 ख, 61/6 ख | 0.01 | 79/3 | 0.01 |
| | | 119/8 | 0.12 |
| 154/3 | 0.03 | 119/9 | 0.01 |
| 57/1 ग, 58/1 ग, 59/3 ग, 61/6 ग | 0.01 | 81/4 क | 0.20 |
| | | 85/1 | 0.10 |
| 154/4 | 0.03 | 85/2 | 0.05 |
| 57/1 घ, 58/1 घ, 59/3 घ, 61/6 घ | 0.01 | 234 | 0.06 |
| | | 237/1 | 0.10 |
| 154/5 | 0.03 | 326/1 | 0.02 |
| 57/1 ङ, 58/1 ङ, 59/3 ङ, 61/6 ङ | 0.01 | 328/2 | 0.02 |
| | | 59/9 | 0.06 |
| 154/6 | 0.03 | 59/10 | 0.06 |
| 57/1 च, 58/1 च, 59/3 च, 61/6 च | 0.01 | 77/2 क | 0.24 |
| | | 159/2 | 0.20 |
| 154/7 | 0.03 | 244/2 | 0.02 |
| 57/1 छ, 58/1 छ, 59/3 छ, 61/6 छ | 0.01 | 310/2 | 0.03 |
| | | 61/4 | 0.07 |
| 154/8 | 0.03 | 61/8 | 0.26 |
| 57/1 ज, 58/1 ज, 59/3 ज, 61/6 ज | 0.01 | 61/16 | 1.56 |
| | | 62/1 क | 2.03 |
| 154/9 | 0.03 | 61/18 | 0.11 |
| 57/1 झ, 58/1 झ, 59/3 झ, 61/6 झ | 0.01 | 61/27 | 0.18 |
| | | 147/7 | 0.08 |
| 154/10 | 0.03 | 309/5 क | 0.11 |
| 57/1 ञ, 58/1 ञ, 59/3 ञ, 61/6 ञ | 0.01 | 61/33 क | 0.50 |
| | | 61/33 ख | 0.12 |
| 154/11 | 0.03 | 61/33 ग | 0.13 |
| 57/1 ट, 58/1 ट, 59/3 ट, 61/6 ट | 0.01 | 76/16 ख | 0.05 |
| | | 233 | 0.10 |
| 154/12 | 0.03 | 61/33 घ | 0.17 |
| 57/1 ठ, 58/1 ठ, 59/3 ठ, 61/6 ठ | 0.01 | 238 | 0.10 |
| | | 226/1 | 0.13 |
| 154/13 | 0.03 | 61/33 ङ | 0.08 |
| 57/5 | 0.05 | 302/2 ग | 0.01 |
| 80/1 | 0.01 | 303/7 ग | 0.04 |
| 57/14, 58/4, 59/13, 61/63 | 0.32 | 61/36 क | 0.17 |
| 59/11 | 0.06 | 76/16 क | 0.05 |
| 119/1 | 0.18 | 235 | 0.12 |
| 154/2 | 0.70 | 237/2 | 0.03 |
| 57/15, 58/5, 59/14, 61/64 | 0.03 | 237/3 | 0.13 |
| 57/16, 58/6, 59/15, 61/65 | 0.03 | 248 | 0.15 |
| 57/17, 58/7, 59/16, 61/66 | 0.05 | 302/2 ख | 0.01 |
| 57/18, 58/8, 59/18, 61/67 | 0.05 | 303/7 ख | 0.29 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 61/36 ख | 0.13 | 73/13 | 0.10 |
| 226/2 | 0.15 | 121/8 | 0.80 |
| 61/37 क | 0.13 | 121/10 | 0.07 |
| 323/3 | 0.12 | 227/3 | 0.10 |
| 61/37 ख | 0.05 | 228/6 | 0.23 |
| 61/63 | 0.17 | 250/2 | 0.08 |
| 323/4 | 0.12 | 73/24 | 0.04 |
| 61/64 क | 0.13 | 73/25 | 0.05 |
| 323/5 | 0.12 | 73/26 | 0.05 |
| 61/64 ख | 0.05 | 73/27 | 0.10 |
| 61/65 | 0.17 | 73/28 | 0.03 |
| 323/6 | 0.12 | 73/29 | 0.05 |
| 61/66 | 0.16 | 74/1 | 0.50 |
| 61/67 | 0.16 | 80/3 | 0.10 |
| 61/68 | 0.32 | 74/3 | 0.05 |
| 61/69 | 0.25 | 74/4 | 0.05 |
| 62/1 ख | 0.10 | 74/5 | 0.05 |
| 62/3 | 0.05 | 74/6 | 0.05 |
| 62/4 | 0.15 | 74/7 | 0.10 |
| 62/5 | 0.25 | 209/20 | 0.12 |
| 65/2 | 2.53 | 74/8 | 0.10 |
| 67/9 | 0.10 | 209/27 | 0.12 |
| 73/4 | 0.45 | 74/9 | 0.10 |
| 73/14 | 0.25 | 209/28 | 0.12 |
| 255/15 | 0.13 | 75 | 0.31 |
| 255/16 | 0.14 | 95/1 | 0.05 |
| 299/10 | 0.04 | 95/11 | 0.03 |
| 69/12 | 0.17 | 173/17, 175/11 | 0.09 |
| 95/4 | 0.05 | 173/8 | 0.14 |
| 95/7 | 0.03 | 173/18 | 0.15 |
| 173/15 | 0.35 | 174/1 | 0.07 |
| 173/36, 175/23 | 0.19 | 209/14 | 0.10 |
| 173/39 | 0.07 | 76/1 | 0.13 |
| 290/7 | 0.11 | 95/2 | 0.04 |
| 69/27 | 0.17 | 173/2 क/1, 175/6 क/1, 175/18 क/1 | 0.37 |
| 173/3 | 0.10 | | |
| 200/15 | 0.10 | 173/10/1 | 0.20 |
| 173/23 क | 0.03 | 175/2 क/1 | 0.03 |
| 175/17 | 0.02 | 200/1 | 0.17 |
| 173/33, 175/20 | 0.11 | 200/11 | 0.03 |
| 69/28 | 0.17 | 169/2, 173/12, 175/2 ख | 0.20 |
| 209/15 | 0.03 | 76/2 | 0.11 |
| 73/1 | 0.09 | 76/8 | 0.06 |
| 160 | 0.25 | 95/3 | 0.03 |
| 73/2 | 0.29 | 173/1 | 0.14 |
| 73/11 | 0.04 | 175/15 | 0.05 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 190/2 | 0.03 | 76/18 | 0.01 |
| 191/1 | 0.07 | 95/13 | 0.01 |
| 76/3 | 0.20 | 173/28 क | 0.02 |
| 76/6 | 0.23 | 173/30 क, 175/3 क | 0.03 |
| 95/5 | 0.22 | 76/19 | 0.03 |
| 338/1 | 0.04 | 95/14 | 0.01 |
| 76/4 | 0.20 | 95/16 | 0.01 |
| 76/5 क | 0.03 | 173/29 क | 0.03 |
| 76/5 ख | 0.05 | 200/25 | 0.02 |
| 76/5 ग | 0.05 | 76/26 क | 0.10 |
| 76/5 घ | 0.05 | 76/26 ख | 0.20 |
| 76/5 ङ | 0.02 | 76/27 | 0.10 |
| 76/5 च | 0.03 | 76/28 | 0.12 |
| 76/7 | 0.06 | 95/17 | 0.04 |
| 76/9 | 0.04 | 173/2 क/2, 175/6 क/2, 175/18 क/2 | 0.38 |
| 312/1 क | 0.06 | | |
| 76/10 | 0.30 | 173/10/2 | 0.20 |
| 76/11 | 0.10 | 175/2 क/2 | 0.02 |
| 76/12 क | 0.01 | 200/29 | 0.03 |
| 76/13 क | 0.01 | 200/32 | 0.17 |
| 76/14 क | 0.06 | 76/29 क | 0.01 |
| 95/8 | 0.05 | 76/29 ख | 0.01 |
| 95/9 | 0.05 | 173/29 ख/2 | 0.02 |
| 95/10 | 0.06 | 173/31 ख/2, 175/4 ख/2 | 0.01 |
| 173/19 क/1, 200/19 क/1 | 0.15 | 76/29 ग | 0.01 |
| 173/20 | 0.11 | 173/29 ख/3 | 0.01 |
| 175/12 | 0.13 | 76/30 | 0.02 |
| 173/21 | 0.20 | 95/19 | 0.01 |
| 173/22 | 0.34 | 76/31 | 0.01 |
| 173/24 | 0.12 | 95/22 | 0.01 |
| 252/2 क | 0.06 | 173/28 ख | 0.02 |
| 172 | 0.08 | 173/30 ख, 175/3 ख | 0.03 |
| 173/6 | 0.29 | 200/30 | 0.01 |
| 173/25 | 0.50 | 76/32 | 0.01 |
| 173/26 | 0.11 | 95/15 | 0.02 |
| 76/12 ख | 0.05 | 173/28 ग | 0.03 |
| 76/12 ग | 0.05 | 173/30 ग, 175/3 ग | 0.04 |
| 76/12 घ | 0.05 | 200/24 | 0.02 |
| 76/13 ख | 0.05 | 76/33 | 0.02 |
| 76/13 ग | 0.05 | 173/28 घ | 0.03 |
| 76/14 ख | 0.05 | 76/34 | 0.05 |
| 76/14 ग | 0.05 | 76/35 | 0.05 |
| 76/15 क | 0.05 | 76/36 | 0.05 |
| 76/15 ख | 0.05 | 76/37 | 0.05 |
| 76/15 ग | 0.05 | 76/38 | 0.10 |
| 76/15 घ | 0.05 | 76/38 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 76/39 | 0.10 |
| 76/39 | 0.20 |
| 76/40 | 0.05 |
| 76/41 | 0.05 |
| 76/42 | 0.05 |
| 76/43 | 0.05 |
| 76/44 | 0.05 |
| 76/45 | 0.05 |
| 76/46 | 0.05 |
| 76/47 | 0.04 |
| 312/1 ख | 0.07 |
| 77/2 ख | 0.03 |
| 77/2 ग | 0.03 |
| 77/2 घ | 0.05 |
| 77/2 ङ | 0.03 |
| 77/2 च | 0.05 |
| 77/2 छ | 0.05 |
| 77/2 ज | 0.03 |
| 77/2 झ | 0.08 |
| 77/2 ञ | 0.05 |
| 77/3 क | 0.05 |
| 77/3 ख | 0.05 |
| 77/4 क | 0.05 |
| 244/6 | 0.03 |
| 310/11 | 0.02 |
| 77/4 ख | 0.05 |
| 77/5 क | 0.05 |
| 244/7 | 0.03 |
| 310/12 | 0.02 |
| 77/5 ख | 0.05 |
| 77/6 क | 0.14 |
| 77/6 ख | 0.06 |
| 77/6 ग | 0.05 |
| 77/6 घ | 0.05 |
| 77/7 | 0.10 |
| 77/8 क/2 | 0.025 |
| 77/8 ख | 0.025 |
| 77/8 ग | 0.025 |
| 77/8 घ | 0.025 |
| 77/8 ङ | 0.025 |
| 77/10 | 0.05 |
| 78/1, 79/1, 119/3, 119/4 | 0.09 |
| 78/8, 79/4, 119/11, 119/12 | 0.10 |
| 78/9 | 0.15 |
| 78/10 | 0.15 |
| 78/11 | 0.10 |
| 78/12 | 0.10 |
| 78/13 | 0.10 |
| 80/4 | 0.10 |
| 80/5 | 0.06 |
| 80/6 | 0.06 |
| 80/7 | 0.03 |
| 328/5 | 0.02 |
| 81/1 ख | 0.10 |
| 81/1 ग | 0.10 |
| 81/3 ख | 0.05 |
| 81/3 ग | 0.05 |
| 81/3 घ | 0.05 |
| 81/3 ङ | 0.05 |
| 81/3 च | 0.05 |
| 81/4 ख | 0.05 |
| 81/4 ग | 0.05 |
| 81/4 घ | 0.05 |
| 81/6 | 0.05 |
| 81/7 | 0.05 |
| 81/8 | 0.05 |
| 81/9 | 0.05 |
| 81/10 | 0.05 |
| 81/11 | 0.05 |
| 81/12 | 0.05 |
| 84/2 | 0.21 |
| 242/1 | 0.07 |
| 242/2 | 0.15 |
| 209/24 | 0.09 |
| 87 | 0.05 |
| 91/2 | 0.23 |
| 91/3 | 0.23 |
| 96 | 0.04 |
| 89 | 0.04 |
| 91/1 | 0.09 |
| 93/3 ख | 0.06 |
| 93/1 ख | 0.05 |
| 94 | 0.50 |
| 95/6 | 0.03 |
| 200/8 | 0.02 |
| 95/12 | 0.14 |
| 173/12 | 0.44 |
| 95/18 | 0.01 |
| 173/31 ख/3, 175/4 ख/3 | 0.03 |
| 95/20 | 0.01 |
| 95/21 | 0.01 |
| 173/31 ग, 175/4 ग | 0.05 |
| 200/27 | 0.03 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 95/23 | 0.01 | 151/4 ग | 0.03 |
| 173/30 घ, 175/3 घ | 0.03 | 151/4 घ | 0.03 |
| 200/31 | 0.01 | 151/5 | 0.12 |
| 108 | 0.13 | 151/8 | 0.12 |
| 115/1 | 0.03 | 151/10 | 0.75 |
| 337/1 क, 340/1 क | 0.24 | 333/3 | 0.07 |
| 115/2 | 0.03 | 151/12 | 0.03 |
| 309/10 | 0.05 | 152/2 | 0.01 |
| 324/1 | 0.09 | 153/2 | 0.01 |
| 117/1 | 0.10 | 151/15 | 0.10 |
| 322/1 | 0.05 | 152/3 | 0.02 |
| 120/4 | 0.04 | 153/3 | 0.08 |
| 121/13 | 0.06 | 147/1 न | 0.08 |
| 121/14 | 0.04 | 156/1 | 0.16 |
| 228/10 | 0.12 | 157/4 | 0.03 |
| 245/4 | 0.075 | 335/2 | 0.03 |
| 331/15 | 0.03 | 151/17 | 0.02 |
| 341/10 क | 0.005 | 151/16 | 0.32 |
| 147/1 क | 0.80 | 152/4 | 0.03 |
| 147/1 झ | 0.08 | 153/4 | 0.11 |
| 156/2 | 0.16 | 155/2 | 0.20 |
| 151/6 | 0.14 | 155/3 | 0.20 |
| 335/1 | 0.05 | 319/7 | 0.03 |
| 147/1 ग | 0.04 | 155/4 | 0.08 |
| 151/7 | 1.20 | 155/5 | 0.08 |
| 147/1 घ/2 | 0.06 | 155/6 | 0.08 |
| 147/1 च/2 | 0.02 | 155/7 | 0.08 |
| 150/2 | 0.02 | 155/8 | 0.08 |
| 151/16 | 0.02 | 155/9 | 0.04 |
| 147/1 घ/3 | 0.06 | 155/10 | 0.04 |
| 147/1 च/3 | 0.06 | 155/11 | 0.04 |
| 150/3 | 0.04 | 157/3 | 0.18 |
| 151/17 | 0.02 | 332/1 क, 333/1 क, 333/2 क | 0.05 |
| 147/1 ट | 0.01 | 157/5 | 0.05 |
| 240/1 | 0.02 | 157/6 | 0.05 |
| 334/1 | 0.03 | 157/7 | 0.03 |
| 151/2 | 0.12 | 159/1 | 0.45 |
| 151/3 | 0.25 | 165/1 | 0.11 |
| 152/1 | 0.06 | 167/1 | 0.415 |
| 153/1, 151/11 | 0.08 | 168/1 | 0.29 |
| 157/2 | 0.18 | 169/1 | 0.21 |
| 151/4 क/1 | 0.14 | 165/2 | 0.25 |
| 155/1 | 0.01 | 167/3 | 0.20 |
| 323/11 | 0.05 | 168/5 | 1.01 |
| 151/4 क/2 | 0.03 | 165/3 | 0.38 |
| 151/4 ख | 0.03 | 167/12 | 0.10 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 165/4 | 0.16 | 168/21 | 0.05 |
| 165/5 | 0.18 | 168/22 | 0.03 |
| 167/7 | 0.28 | 168/23 | 0.03 |
| 168/9 | 0.33 | 168/24, 169/23 | 0.13 |
| 169/7 | 0.31 | 168/25, 169/24 | 0.13 |
| 165/6 | 0.10 | 168/26, 169/25 | 0.14 |
| 165/7 | 0.10 | 168/27 | 0.14 |
| 167/9 | 0.065 | 168/28 | 0.14 |
| 168/11 | 0.12 | 168/29 | 0.14 |
| 169/4 | 0.20 | 168/30 | 0.14 |
| 169/9 | 0.16 | 168/31 | 0.05 |
| 219/1 | 0.15 | 168/31 | 0.05 |
| 166/1 | 0.25 | 168/32 | 0.05 |
| 167/2, 220/2 | 0.53 | 168/32 क | 0.07 |
| 220/5 | 2.20 | 168/32 ख | 0.03 |
| 166/2 | 0.25 | 168/32 ग | 0.05 |
| 220/6 | 0.19 | 168/33 | 0.06 |
| 167/4 | 0.30 | 168/34 | 0.06 |
| 219/5 | 0.095 | 168/35 | 0.06 |
| 220/1 | 0.23 | 168/36 | 0.06 |
| 167/5 | 0.20 | 168/37 | 0.20 |
| 167/6 | 0.33 | 169/3 | 0.30 |
| 168/7 | 0.105 | 170 | 0.20 |
| 167/8 | 0.13 | 319/5 क, 321/2 क | 0.29 |
| 167/10 | 0.29 | 169/5 | 0.05 |
| 167/11 | 0.20 | 169/8 | 0.41 |
| 167/13 | 0.09 | 169/10 | 0.08 |
| 168/18, 169/26 | 0.09 | 169/11 | 0.05 |
| 219/13 | 0.02 | 169/12 | 0.05 |
| 220/7 | 0.05 | 169/13 | 0.05 |
| 167/14 | 0.08 | 169/14, 173/42, 175/29 | 0.26 |
| 168/19, 169/23 | 0.10 | 169/15, 173/43, 175/30 | 0.26 |
| 219/14 | 0.03 | 169/16, 173/44, 175/31 | 0.20 |
| 220/8 | 0.05 | 169/18 | 0.20 |
| 168/2 | 0.22 | 169/19 | 0.20 |
| 169/6 | 0.80 | 169/20 | 0.14 |
| 168/3 | 0.10 | 169/21 | 0.05 |
| 168/4 | 0.10 | 169/22 | 0.05 |
| 169/7 | 0.03 | 171 | 0.35 |
| 168/8 | 0.105 | 173/4, 174/2 क, 175/13 क | 0.36 |
| 168/12 | 0.10 | 173/13 | 0.01 |
| 168/13 | 0.10 | 173/5 | 0.03 |
| 168/14 | 0.10 | 312/24 | 0.01 |
| 168/15 | 0.10 | 173/7 क | 0.33 |
| 168/16 | 0.10 | 175/10 क | 0.08 |
| 168/17 | 0.10 | 173/7 ख, 175/10 ख | 0.07 |
| 168/20 | 0.05 | 173/9 | 0.10 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 173/10/3 | 0.14 | 175/16 | 0.22 |
| 175/2 क/3 | 0.01 | 190/3 | 0.03 |
| 173/10/4 | 0.14 | 200/16 | 0.03 |
| 175/2 क/4 | 0.01 | 311/9, 312/26 | 0.03 |
| 173/10/5 | 0.14 | 200/10 | 0.06 |
| 175/2 क/5 | 0.01 | 200/14 | 0.06 |
| 173/10/6 | 0.14 | 200/17 | 0.16 |
| 175/2 क/6 | 0.01 | 200/18 | 0.05 |
| 173/10/7 | 0.14 | 209/10 | 0.36 |
| 175/2 क/7 | 0.01 | 200/21 | 0.02 |
| 173/11 | 0.09 | 239/2 | 0.04 |
| 175/4 | 0.05 | 240/2 | 0.04 |
| 173/16 क | 0.10 | 241/1 | 0.09 |
| 173/16 ख | 0.10 | 200/22 | 0.01 |
| 173/16 ग/1 | 0.05 | 240/3 | 0.05 |
| 173/16 ग/2 | 0.05 | 200/23 | 0.02 |
| 173/16 घ/1 | 0.12 | 222/7 | 0.07 |
| 173/16 घ/2 | 0.10 | 240/4 | 0.04 |
| 173/19 क/2, 200/19 क/2 | 0.10 | 200/26 | 0.01 |
| 173/19 ख, 200/19 ख | 0.10 | 208/4 | 0.20 |
| 173/23 ख | 0.15 | 208/6 | 0.32 |
| 173/29 ख/1 | 0.02 | 209/1 | 0.10 |
| 173/31 ख/1, 175/4 ख/1 | 0.01 | 209/12 | 0.35 |
| 173/29 ग | 0.03 | 209/2 | 0.09 |
| 173/31 क, 175/4 क | 0.05 | 209/3 | 0.08 |
| 173/32 क | 0.04 | 209/4 क | 0.15 |
| 173/32 ख | 0.04 | 209/4 ख | 0.15 |
| 173/34, 175/21 | 0.09 | 209/4 ग | 0.15 |
| 290/20 | 0.02 | 209/4 घ | 0.35 |
| 173/35, 175/22 | 0.06 | 209/5 | 0.36 |
| 173/37 | 0.15 | 209/13 ख | 0.14 |
| 200/28 | 0.04 | 209/6 क | 0.0625 |
| 173/38 | 0.07 | 209/6 ख | 0.05 |
| 173/40 | 0.18 | 209/6 ग | 0.05 |
| 175/28 | 0.02 | 209/7 | 0.18 |
| 290/6 | 0.03 | 209/8 | 0.16 |
| 173/41 | 0.20 | 209/11 क | 0.30 |
| 173/43 | 0.02 | 209/11 ख/1 | 0.20 |
| 312/23 | 0.01 | 209/11 ख/2 | 0.20 |
| 173/44 | 0.19 | 209/11 ख/3 | 0.20 |
| 173/44, 175/29 | 0.10 | 209/11 ख/4 | 0.20 |
| 173/45 | 0.19 | 209/13 क | 0.15 |
| 173/46, 174/3, 175/29 | 0.19 | 209/13 ग | 0.15 |
| 331/23, 339/8 | 0.05 | 209/21 | 0.10 |
| 173/47, 174/4, 175/30 | 0.19 | 209/29 | 0.35 |
| | | 209/22 | 0.05 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 209/30 | 0.05 | 323/2 ख | 0.16 |
| 209/23 | 0.05 | 236/2 | 0.05 |
| 209/31 | 0.05 | 239/3 | 0.12 |
| 209/25 | 0.09 | 239/4 | 0.12 |
| 209/26 | 0.09 | 239/5 | 0.12 |
| 209/32 | 0.1625 | 240/5 | 0.01 |
| 209/33 | 0.1625 | 334/6 | 0.03 |
| 209/34 | 0.1625 | 240/6 | 0.01 |
| 209/35 | 0.1475 | 334/7 ख | 0.01 |
| 209/36 | 0.0175 | 240/7 | 0.01 |
| 209/37 | 0.1625 | 334/8 | 0.03 |
| 209/38 | 0.08 | 241/2 | 0.06 |
| 209/39 | 0.05 | 241/3 | 0.10 |
| 219/6 | 0.13 | 241/4 | 0.05 |
| 219/8 | 0.05 | 241/5 | 0.06 |
| 219/9 | 0.04 | 241/6 | 0.06 |
| 219/10 | 0.13 | 241/7 | 0.06 |
| 219/11 | 0.13 | 241/8 | 0.03 |
| 219/12 | 0.13 | 241/9 | 0.03 |
| 219/15 | 0.13 | 242/3 | 0.04 |
| 219/16 | 0.13 | 242/4 | 0.075 |
| 219/17 | 0.13 | 242/5 | 0.075 |
| 219/18 | 0.03 | 242/6 | 0.15 |
| 219/19 | 0.13 | 242/7 | 0.06 |
| 220/3 | 0.34 | 242/8 | 0.05 |
| 221/1 | 0.23 | 243 | 0.85 |
| 221/2 | 0.05 | 121/1 | 0.96 |
| 223 | 1.32 | 158/2 | 0.05 |
| 224 | 1.20 | 161/2 | 0.14 |
| 226/3 | 0.04 | 228/4 | 0.43 |
| 226/4 | 0.20 | 161/3 | 0.03 |
| 226/5 | 0.12 | 225 | 0.44 |
| 226/6 | 0.03 | 228/1 | 0.30 |
| 226/7 | 0.03 | 229 | 0.45 |
| 226/8 | 0.03 | 325/1 क | 0.02 |
| 226/9 | 0.03 | 331/4 क | 0.36 |
| 226/10 | 0.03 | 331/7 क | 0.17 |
| 226/11 | 0.03 | 331/9 | 0.54 |
| 227/6 | 0.05 | 336/2 | 0.08 |
| 228/3 | 0.12 | 341/1 | 0.22 |
| 228/11 | 0.10 | 341/4 | 0.38 |
| 230/1 | 0.12 | 244/1 क/2, 310/1 क/2 | 0.10 |
| 230/2 | 0.01 | 244/1 क/3, 310/1 क/3 | 0.10 |
| 230/3 | 0.05 | 244/1 क/4, 310/1 क/4 | 0.10 |
| 230/4 | 0.03 | 244/1 क/5, 310/1 क/5 | 0.10 |
| 231 | 0.12 | 244/1 क/6, 310/1 क/6 | 0.10 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 244/1 ख, 310/1 ख | 0.05 | 252/6 | 0.04 |
| 244/1 ग, 310/1 ग | 0.05 | 252/7 | 0.04 |
| 244/1 घ, 310/1 घ | 0.05 | 252/8 | 0.05 |
| 244/1 ङ, 310/1 ङ | 0.05 | 252/9 | 0.05 |
| 244/1 च, 310/1 च | 0.50 | 255/1 | 0.06 |
| 244/5 क | 0.05 | 255/24 | 0.07 |
| 310/10 क | 0.05 | 290/5 | 0.03 |
| 244/5 ख, 310/10 ख | 0.05 | 290/9 | 0.03 |
| 244/8 ख, 310/13 ख | 0.10 | 290/10 | 0.03 |
| 245/1 क | 0.11 | 290/11 | 0.02 |
| 245/1 ख | 0.06 | 290/12 | 0.02 |
| 245/1 ग | 0.06 | 290/13 | 0.02 |
| 245/2 | 0.075 | 290/14 | 0.02 |
| 245/5 | 0.10 | 290/15 | 0.02 |
| 245/6 | 0.05 | 290/16 | 0.02 |
| 245/7 | 0.06 | 290/17 | 0.02 |
| 245/8 | 0.05 | 290/18 | 0.02 |
| 245/9 | 0.11 | 290/19 | 0.02 |
| 246 | 0.01 | 302/2 क, 303/7 क | 0.10 |
| 247 | 0.36 | 302/2 घ | 0.01 |
| 249/2 | 0.06 | 303/7 घ | 0.04 |
| 249/3 क | 0.05 | 302/2 ङ | 0.01 |
| 249/3 ख | 0.05 | 303/7 ङ | 0.04 |
| 249/3 ग | 0.05 | 302/2 च | 0.01 |
| 249/4 | 0.05 | 303/7 च | 0.04 |
| 249/5 | 0.06 | 303/5 | 0.05 |
| 249/6 | 0.05 | 303/6 | 0.05 |
| 250/1 | 0.10 | 303/9 | 0.05 |
| 250/3 | 0.05 | 303/10 | 0.05 |
| 250/4 | 0.05 | 303/11 | 0.05 |
| 251/1 ख | 0.05 | 303/12 | 0.05 |
| 251/2 क | 0.05 | 303/13 | 0.05 |
| 251/2 ख/1 | 0.08 | 303/14 | 0.05 |
| 251/2 ख/2 | 0.10 | 303/15 | 0.05 |
| 251/2 ख/3 | 0.10 | 303/16 | 0.045 |
| 251/3 | 0.05 | 303/19 | 0.045 |
| 251/4 | 0.05 | 303/17 | 0.045 |
| 251/5 | 0.05 | 303/18 | 0.045 |
| 251/6 | 0.05 | 303/20 | 0.05 |
| 251/7 | 0.05 | 303/21 | 0.05 |
| 251/8 | 0.05 | 303/22 | 0.05 |
| 252/1 | 0.07 | 303/23 | 0.05 |
| 252/2 ख | 0.05 | 303/24 | 0.05 |
| 252/2 ग | 0.05 | 303/25 | 0.10 |
| 252/3 | 0.04 | 303/26 | 0.08 |
| 252/5 | 0.08 | 303/27 | 0.04 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 303/28 | 0.03 | 319/22 | 0.03 |
| 303/29 | 0.05 | 319/23 | 0.13 |
| 309/5 ख | 0.05 | 319/24 | 0.06 |
| 309/9 क | 0.05 | 319/25 | 0.04 |
| 309/9 ख | 0.05 | 319/26 | 0.13 |
| 309/37. | 0.05 | 319/27 | 0.05 |
| 309/12 क | 0.10 | 319/28 | 0.05 |
| 309/12 ख | 0.05 | 319/29, 321/13 | 0.05 |
| 309/12 ग | 0.04 | 319/30, 321/14 | 0.06 |
| 309/13 | 0.04 | 319/31, 321/15 | 0.05 |
| 309/14 | 0.44 | 321/5 क | 0.03 |
| 309/26 | 0.03 | 321/5 ख | 0.05 |
| 309/27 | 0.05 | 321/5 ग | 0.05 |
| 309/28 | 0.05 | 321/7 | 0.03 |
| 309/29 | 0.04 | 321/8 | 0.03 |
| 309/30 | 0.04 | 321/9 | 0.03 |
| 309/31 | 0.10 | 321/10 | 0.03 |
| 309/32 | 0.05 | 321/11 | 0.03 |
| 309/33 | 0.05 | 321/12 | 0.03 |
| 309/34 | 0.05 | 322/2 | 0.06 |
| 309/35 | 0.02 | 322/3 | 0.11 |
| 309/36 | 0.03 | 322/4 | 0.05 |
| 309/38 | 0.05 | 322/5 | 0.05 |
| 310/7 | 0.06 | 322/6 | 0.05 |
| 311/2 | 0.05 | 322/7 | 0.05 |
| 312/2 | 0.05 | 322/8 | 0.03 |
| 311/3 | 0.05 | 322/9 | 0.05 |
| 311/7 | 0.05 | 322/10 | 0.05 |
| 311/8, 312/25 | 0.04 | 322/11 | 0.05 |
| 311/10 | 0.14 | 322/12 | 0.03 |
| 311/11 | 0.09 | 322/13 | 0.05 |
| 311/12 | 0.05 | 322/14 | 0.05 |
| 311/13, 312/27 | 0.05 | 322/15 | 0.05 |
| 311/14, 312/28 | 0.04 | 322/16 | 0.05 |
| 312/3 | 0.03 | 322/17 | 0.05 |
| 312/4 | 0.09 | 323/1 | 0.05 |
| 312/16 | 0.03 | 323/2 क | 0.16 |
| 312/19 | 0.04 | 323/6 | 0.12 |
| 312/20 | 0.04 | 323/7 | 0.05 |
| 312/21 | 0.03 | 323/8 | 0.05 |
| 312/22 | 0.01 | 323/9 | 0.05 |
| 312/29 | 0.04 | 323/10 | 0.05 |
| 319/4 | 0.36 | 323/12 | 0.05 |
| 319/5 ख, 321/2 ख | 0.05 | 324/2 | 0.09 |
| 319/20 | 0.03 | 325/1 ख | 0.05 |
| 319/21 | 0.03 | 325/4 | 0.15 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 325/5 | 0.15 | 332/3, 333/12, 333/13 | 0.05 |
| 325/6 | 0.13 | 333/6 | 0.05 |
| 326/3 | 0.13 | 333/7 | 0.05 |
| 328/1 | 0.14 | 333/8 | 0.05 |
| 328/6 | 0.02 | 333/9 | 0.05 |
| 328/7 | 0.02 | 333/10 | 0.05 |
| 328/8 | 0.13 | 333/11 | 0.05 |
| 328/9 | 0.13 | 334/2 | 0.06 |
| 328/10 क | 0.08 | 334/3 | 0.04 |
| 328/10 ख | 0.05 | 334/4 क | 0.06 |
| 329/1 क | 0.10 | 334/4 ख | 0.06 |
| 329/1 ख | 0.10 | 334/5 | 0.06 |
| 329/1 ग | 0.10 | 334/7 क | 0.03 |
| 329/2, 330/1 | 0.06 | 334/9 | 0.04 |
| 329/3, 330/2 | 0.06 | 334/10 | 0.04 |
| 329/4, 330/3 | 0.06 | 335/3 | 0.13 |
| 331/2 | 0.11 | 335/4 | 0.05 |
| 331/4 ख | 0.14 | 335/5 | 0.05 |
| 331/5 ख | 0.05 | 335/6 | 0.05 |
| 331/5 ग | 0.05 | 335/7 | 0.05 |
| 331/5 घ | 0.05 | 335/8 | 0.05 |
| 331/11 | 0.105 | 336/1 क | 0.11 |
| 331/12 | 0.06 | 336/1 ख | 0.03 |
| 331/7 ख | 0:06 | 336/3 | 0.04 |
| 331/31 | 0.20 | 336/4 | 0.05 |
| 331/32 | 0.23 | 336/5 | 0.04 |
| 331/16 क | 0.07 | 336/6 | 0.04 |
| 331/18 क, 339/4 | 0.03 | 336/7 | 0.05 |
| 331/18 ख | 0.07 | 337/1 ख, 340/1 ख | 0.05 |
| 331/19, 339/4 | 0.05 | 337/7, 340/7 | 0.05 |
| 331/20, 339/5 | 0.03 | 337/1 ग, 340/1 ग | 0.05 |
| 331/21, 339/6 | 0.04 | 337/1 घ, 340/1 घ | 0.05 |
| 331/22, 339/7 | 0.04 | 337/1 ङ, 340/1 ङ | 0.05 |
| 331/24, 339/9 | 0.03 | 337/2 क, 340/2 क | 0.05 |
| 331/25, 339/10 | 0.13 | 337/2 ख, 340/2 ख | 0.05 |
| 331/26, 339/11 | 0.05 | 337/3 क, 340/3 क | 0.12 |
| 331/27, 339/19 | 0.05 | 337/3 ख, 340/3 ख | 0.05 |
| 331/28, 339/20 | 0.05 | 337/4 | 0.03 |
| 331/29, 339/21 | 0.05 | 340/4 | 0.02 |
| 331/30, 339/22 | 0.06 | 337/5 | 0.04 |
| 331/33 | 0.12 | 340/5 | 0.01 |
| 331/34 | 0.11 | 337/6, 340/6 | 0.05 |
| 332/1 ख, 333/1 ख, 333/2 ख | 0.05 | 337/8, 340/8 | 0.05 |
| 332/2 | 0.005 | 337/9, 340/9 | 0.05 |
| 333/4 | 0:035 | 337/10, 340/10 | 0.10 |
| 333/5 | 0.01 | 338/2 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 338/3 | 0.05 |
| 338/4 | 0.05 |
| 338/5 | 0.05 |
| 338/6 | 0.05 |
| 338/7 | 0.05 |
| 338/8 | 0.05 |
| 338/9 | 0.05 |
| 338/10 | 0.05 |
| 338/11 | 0.05 |
| 338/12 | 0.05 |
| 339/3 | 0.15 |
| 339/12 | 0.05 |
| 339/13 | 0.05 |
| 339/14 | 0.05 |
| 339/15 | 0.05 |
| 339/16 | 0.05 |
| 339/17 | 0.05 |
| 339/18 | 0.05 |
| 341/3 | 0.05 |
| 341/5 | 0.05 |
| 341/6 | 0.06 |
| 341/7 | 0.06 |
| 341/8 | 0.06 |
| 341/9 | 0.01 |
| 341/10 ख | 0.05 |
| 341/11 | 0.05 |
| 341/19 | 0.05 |
| 341/20 | 0.05 |
| 341/21 | 0.05 |
| 341/22 | 0.05 |
| योग | 143.15 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राज पाल सिंह त्यागी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2010

क्रमांक 312/दो-2-19/2001.—श्री गिरीश चन्द्र बाजपेयी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा दिनांक 03-01-2008 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 206 (दो सौ छ:) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 42/दो-2-19/2001 दिनांक 17-03-2009 द्वारा प्रदान की गई है. छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (Clarification) के आलोक में शेष 34 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियों न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**अरविन्द कुमार श्रीवास्तव**, रजिस्ट्रार जनरल.